



**EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
PANCHDEEP BHAWAN, CIG ROAD, NEW DELHI – 110002.**

(Website address: www.esic.nic.in)

email: dir-sys@esic.nic.in / sanjay.sinha@esic.in

No.: G-32/11/6/111/2012-ICT (Ins. App.)

Dated: 5/3/2014

To

The Additional Commissioners / Regional Directors/Directors/Joint Director-In-Charge
All Regional Offices/Sub Regional Offices/Divisional Office

Sub:- Using the Action on Defaulters Module for taking action against the Defaulters

Sir,


As you are aware the Action on Defaulters is available in the system for taking action against the defaulters and is being used extensively by many Regions/Sub Regions successfully. However, it has come to the notice of ICT Division that some ROs/SROs, instead of using the AOD Module for issuing C-18 (Actual)/ C-18 (Adhoc) against Defaulters, are creating offline C-18 (Actual)/C-18(Adhoc) and then migrating them into system using the migration screen.

Please note that for count of Action On Defaulters Report the migrated cases are not reflected affecting the performance of the RO/SRO and the Defaulters created through system continue to be shown as pending for action.

Therefore all ROs/SROs/DOs are requested to take action against Defaulters only through AOD Module and migration screen should not be used at all. A confirmation to the effect that only AOD module is being used for action against defaulters may also be forwarded to ICT Division of Hqrs Office.

The receipt of this letter may please be acknowledged.

Yours faithfully


 (SANJAY SINHA) 5/3/14
 Director (ICT)

Copy to :- Insurance Commissioner (Revenue), Hqrs Office, New Delhi– For information

NCM - For uploading on website.

वेबसाइट कंटेंट मैनेजर को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु।

वेबसाइट की विषय-सूची का प्रबन्धन.....

Website Contents Management.....

लायरी सं./ Diary No. 328.....

दिनांक / Date 6/3/2014.....



कर्मचारी राज्य बीमा निगम
पँचदीप भवन, सी. आई. जी. मार्ग, नई दिल्ली – 110002.
इमेल: dir-sys@esic.nic.in / sanjay.sinha@esic.in

No.: जी-32/11/6/111/2012-सू.सँ.प्रौ. (इंस्यो. एप्पली.)

दिनांक : 5/3/2014

सेवा में,
अपर आयुक्त / क्षेत्रिय निदेशक / निदेशक / संयुक्त निदेशक प्रभारी
समस्त क्षेत्रिय कार्यालय / उप क्षेत्रिय कार्यालय / मंडल कार्यालय

विषय:- चूककर्ताओं के विरुद्ध कार्यावाइ करने हेतु 'एक्सन औन डिफॉल्टर' मौड्युल का प्रयोग

महोदय

जैसा की आपको विदित है चूककर्ताओं के विरुद्ध कार्यावाइ करने हेतु सिस्टम मे 'एक्सन औन डिफॉल्टर' मौड्युल उपलब्ध है और अधिकांश क्षेत्रिय कार्यालयों / उप क्षेत्रिय कार्यालयों द्वारा बड़े पैमाने मे सफलतापूर्वक प्रयोग मे लाया जा रहा है. तथापि, सूचना संचार प्रौद्योगिकी प्रभाग की जानकारी मे आया है कि कुछ क्षेत्रिय कार्यालय / उप क्षेत्रिय कार्यालय चूककर्ताओं के विरुद्ध सी-18 (वास्तविक) / सी-18 (तदर्थ) जारी करने के लिये 'एक्सन औन डिफॉल्टर' मौड्युल का प्रयोग करने के वजाय ऑफलाइन सी-18 (वास्तविक) / सी-18 (तदर्थ) बना रहे हैं और माइग्रेशन स्क्रीन के माध्यम से सिस्टम मे प्रवर्जन कर रहे हैं.

कृपया नोट करें कि 'एक्सन औन डिफॉल्टर' विवरणी की गणना में प्रवर्जित मामले प्रतिबिम्बित नहीं होते हैं जिससे जिससे क्षेत्रिय कार्यालयों / उप क्षेत्रिय कार्यालयों के कार्य निष्पादन पर प्रभाव पड़ता है और सिस्टम द्वारा सृजित चूककर्ता कार्यवाइ हेतु लम्बित दिखते रहते हैं.

अतः समस्त क्षेत्रिय कार्यालयों / उप क्षेत्रिय कार्यालयों / मंडल कार्यालयों से निवेदन है कि चूककर्ताओं के विरुद्ध कार्यावाइ सिर्फ ए.ओ.डी. मौड्युल के माध्यम से करें एवम माइग्रेशन स्क्रीन का प्रयोग कतइ ना करें. इस आशय की पुष्टि कि चूककर्ताओं के विरुद्ध कार्यावाइ हेतु सिर्फ ए.ओ.डी. मौड्युल का प्रयोग किया जा रहा, मुख्यालय के सूचना संचार प्रौद्योगिकी प्रभाग को प्रेषित करें

कृपया इस पत्र के प्राप्ति की पावती प्रेषित करें.

भवदीय

(संजय सिन्हा)

निदेशक(सू.सँ.प्रौ.)

प्रतिलिपि :- बीमा आयुक्त (राजस्व), मुख्यालय, नई दिल्ली – सूचनार्थ प्रेषित